	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-05-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 25-06-24 को पेश हों। Sd/-	
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार ट-डारा को जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब TDR ट-डारा व साक्ष्य वादी आगामी दिनांक 9-7-24 को पेश हो। Sd/-	
9-7-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित TDR ट-डारा से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आगामी दिनांक 16-7-24 को पेश हो। Sd/-	
16-7-24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित वादी शिवकुमार उपस्थित। PW, शिवकुमार वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी के बयान करवाये गये। वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज Ex-1 से Ex-5 प्रदर्श करवाये गये। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23-7-24 को पेश हो। Sd/-	Sd/-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-07-25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो॥
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वा संख्या 33 / 2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 05.04.2022 श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

शिवकुमार मीना आत्मज बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाति मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा हाल निवासी ग्राम सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

–वादी

बनाम

1. मोरपाल आ0 बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाती मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. श्रीकिशन आ0 बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाती मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. सत्यनारायण आ0 कजोड जाती मीना निवासी ग्राम जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. श्रीमती सांवली पुत्री बजरंगा उर्फ बजरंगलाल एवं पत्नी श्री मांगीलाल जाती मीना निवासी ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. रामप्रसाद आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. हजारीलाल आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. छोटूलाल आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. विनोद आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. स्टेट बैंक ऑल इण्डिया शाखा इन्द्रगढ़ जिला बून्दी जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ताः– 1. श्री धीरज जैन(अधिवक्ता वादी)

2. अनुपस्थित (प्रतिवादी सं 1 ता 8)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

दिनांकः—23.07.2024

निर्णय

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आरजी कृषि भूमि खाता संख्या नई 103 पुरानी 95 की खसरा संख्या 135 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 218 रकबा 0.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नई 104 पुरानी 96 की खसरा संख्या 121 रकबा 0.24है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व श्री कजोड आ0 श्री गोमदा जाति मीणा के नाम दर्ज है। श्री कजोड का स्वर्गवास हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 उनके वारिस है। इसी प्रकार आराजी कृषि भूमि खता संख्या नई 158 पुरानी 154 की खसरा संख्या 540 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 603 रकबा 1.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52है0 कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं 1,2 व 4 व धापू पुत्री श्री बजरंगा जाति मीणा के नाम दर्ज है। धापू पुत्री श्री बजरंगा का स्वर्गवास हो गया है एवं प्रतिवादी सं 5 ता 8 स्व0 धापू के वारिस है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है एवं उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा वादी का नाम प्रारंभ से ही खाता संख्या 103, 104 वाके ग्राम कोलाशपुरा में श्योजीलाल पुत्र बजरंगा एवं खाता संख्या 158 वाके ग्राम नान्ता में श्योजी पुत्र बजरंगा कर दिया है। वादी का वास्तविक नाम शिवकुमार मीना आ0 श्री बजरंगलाल उर्फ बजरंगा है एवं वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम शिवकुमार मीना एवं वादी के पिता का नाम बजरंगलाल ही अंकित है। वादी ने राजस्व अधिकारियों से कई बार उपरोक्त इन्द्राज को सही कर वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया परन्तु किसी ने भी वादी की कोई सहायता नहीं की एवं न्यायालय में वाद दायर करने को कहा। वादी पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम श्योजीलाल आ0 श्री बजरंगा व चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम शिवकुमार मीना आ0 श्री बजरंगलाल उर्फ बजरंगा जाति मीना घोषित फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 10 से जांच रिपोर्ट ली गयी जो शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 की तरफ अधिवक्त श्री अब्दुल सत्तार ने अण्डरटेकिंग दी गई पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश करने से इन्कार कर देने से प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली में वादी के साक्ष्य करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुये दस्तावेजात व वादी के पहचान संबंधी दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष रखे व वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी व वादी के पिता के नाम श्योजीलाल आ0 श्री बजरंगा व चरण सं 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम श्योजी आ0 श्री

उपखण्ड अधिकारी

जरंगा के स्थान पर वादी व वादी के पिता का नाम शिवकुमार मीना आ0 श्री बजरंगलाल उर्फ बजरंगा जाति मीना घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं 10 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्राप्त जांच रिपोट में स्पष्ट किया गया है कि शिवकुमार व श्योजीलाल एक ही व्यक्ति है नाम में संशोधन किया जाना उचित है इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि शिवकुमार पुत्र बजरंग लाल व श्योजी लाल पुत्र बजरंगलाल/बजरंगा दोनो एक ही व्यक्ति है जो ग्राम कोलाशपुरा का निवासी है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड एवं राशन कार्ड में भी वादी का नाम शिवकुमार मीणा पुत्र बजरंगलाल अंकित है। वादी का वाद स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 103 पुरानी 95 की खसरा संख्या 135 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 218 रकबा 0.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नई 104 पुरानी 96 की खसरा संख्या 121 रकबा 0.24है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी एवं कृषि भूमि खता संख्या नई 158 पुरानी 154 की खसरा संख्या 540 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 603 रकबा 1.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52है0 कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खातेदार कॉलम में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम श्योजी पुत्र बजरंगा या श्योजीलाल पुत्र बजरंगा विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शिवकुमार पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा जाति मीना दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23—07—2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी...मुकाम.............लाखेरी............................
व इजलास........श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)..

शिवकुमार मीना आत्मज बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाति मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा हाल निवासी ग्राम सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान
–वादी

बनाम

1.मोरपाल आ0 बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाती मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट
धारा 136 एल0आर0 एक्ट
सन् ....

मुकदमा नम्बर 33/दावा/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री धीरज जैन ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू............ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि– वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 103 पुरानी 95 की खसरा संख्या 135 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 218 रकबा 0.20है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नई 104 पुरानी 96 की खसरा संख्या 121 रकबा 0.24है0 वाके ग्राम कोलाशपुरा पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी एवं कृषि भूमि खता संख्या नई 158 पुरानी 154 की खसरा संख्या 540 रकबा 0.36है0, खसरा संख्या 603 रकबा 1.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52है0 कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खातेदार कॉलम में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम श्योजी पुत्र बजरंगा या श्योजीलाल पुत्र बजरंगा विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर शिवकुमार पुत्र बजरंगलाल उर्फ बजरंगा जाति मीना दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा।
निज...मुबलिग..बाबत..
खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

बनाम

2. श्रीकिशन आ0 बजरंगा उर्फ बजरंगलाल जाती मीना निवासी ग्राम कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ़ ... राज0
3. सत्यनारायण आ0 कजोड जाती मीना निवासी ग्राम जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. श्रीमती सांवली पुत्री बजरंगा उर्फ बजरंगलाल एवं पत्नी श्री मांगीलाल जाती मीना निवासी ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. रामप्रसाद आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. हजारीलाल आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
7. छोटूलाल आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. विनोद आ0 श्री नारायण जाती मीना निवासी ग्राम अमरपुरा पोस्ट बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. स्टेट बैंक ऑल इण्डिया शाखा इन्द्रगढ़ जिला बून्दी जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी(बून्दी)

कार्यालय
पंत्राक